

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 679]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 — कार्तिक 8, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्र. 9197/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ.ग./24. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्र. 2 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में अग्रतर संशोधन करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

- | | | |
|---|-----------|---|
| <p>संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.</p> | <p>1.</p> | <p>(1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
| <p>छत्तीसगढ़
नगरपालिक
निगम
अधिनियम,
1956 (क्र. 23
सन् 1956) को
अस्थाई रूप से
संशोधित किया
जाना.</p> | <p>2.</p> | <p>इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 से 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।</p> |

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—
 (एक) खंड (ए) का लोप किया जाये ।
 (दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये,
 अर्थात्:—
 “(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, तो वह निगम के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करेगा।”
4. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :—
 “(5) यदि उप-धारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, नगरपालिक निगम पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 423 के उपबंध, छः मास से अनधिक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिक निगम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।”

धारा 12 का
संशोधन.

धारा 20 का
संशोधन.

अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

क्र. 9197/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ.ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 2 of 2024)

**THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2024.**

An Ordinance to further amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**Short title,
extent and
commencement.**

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

**Chhattisgarh
Municipal
Corporation Act,
1956 (No.23 of
1956) to be
temporarily
amended.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the

amendment specified in Section 3 to 4 of this Ordinance.

3. In Section 12 of the Principal Act,-

(i) clause (a) shall be omitted.

(ii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-

"(e) If the State Election Commission or an authority appointed by it, on an application or on its own motion, is satisfied after such inquiry as it thinks fit that any voter whose name is registered in the current assembly electoral roll relating to the ward of the Corporation, has been erroneously not included, shall be incorporated in the electoral roll of concerned ward of Corporation."

**Amendment of
Section 12.**

Amendment of Section 20. 4.

After sub-section (4) of Section 20 of Principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(5) If before the expiry of the period mentioned in sub-section (1), the Municipal Corporation is not reconstituted, it shall stand dissolved on the expiry of the said period and the provisions of Section 423 shall apply thereto for a period not exceeding six months within which the Municipal Corporation shall be reconstituted in accordance with the provisions of this Act.'